राज्यपाल पद की सार्थकता

*डॉ. अशोक कुमार गुप्ता

शोध सारांश

भारत की संघात्मक व्यवस्था अनोखी है। संघीय व्यवस्था के तहत भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है–केन्द्रीय और राज्य स्तरीय। केन्द्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है जबकि राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के भाग–6, अध्याय–2 और अनुच्छेद 153, 154 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।[1] वस्तुतः राज्यपाल की भूमिका राज्य के अलंकारिक प्रमुख की है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के बेहतर कल्याण के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करता है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि ''एक नामजद राज्यपाल प्रान्तों में विघटनवादी शक्तियों को नियंत्रित कर सकेगा।''[2] डॉ. ओ.पी. गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि राज्यपाल केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी संस्था है।[3] इसी संदर्भ में उड़ीसा और राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित करने वाले श्री जोगिन्दर सिंह ने भी राज्यपाल को केन्द्र–राज्य सम्बन्धों की कड़ी कहा है।''[4]

भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना संजोया था उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा खरा नहीं उतरना दृष्टिगत होता है। राज्यपाल जैसी संस्था आज विवादों और आलोचनाओं के घेरे में फंस गई है। व्यवहार में अनेक संदर्भों में राज्यपालों की भूमिका में सन्तुलन स्थापित नहीं होने के कारण टकराहट या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्यपालों ने **केन्द्रीय अभिकर्ता** के रूप में ही कार्य किया है।[5] केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर विचार करने वाली राजमन्नार समिति ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा था कि ''आज वह एक स्वतंत्र संवैधानिक सत्ता न होकर केन्द्रीय सरकार का अधीनस्थ कर्मचारी मात्र बन कर रह गया है।[6] इस विवादास्पद भूमिका ने राज्यपालों की प्रतिष्ठा और छवि को गहरा आघात पहुँचाया है। इसी संदर्भ में समय–समय पर राज्यपाल पद को समाप्त करने की माँग भी बराबर उठती रही है। भारतीय समाजवादी दल के नेता स्व. भूपेश गुप्त ने कहा था कि यह पद ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस पद की गरिमा नष्ट हो गई है।[7] आन्ध्रप्रदेश तेलुगुदेशम के सांसद प्रो. सी. लक्ष्मणन ने कहा था कि तेलुगुदेशम, राज्यपाल पद को हाथ की ऐसी फालतू छठी अंगुली मानती है जिसको काट देने में ही देश की भलाई है।[8] राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक जगमाल सिंह यादव ने राज्यपाल पद को अप्रासंगिक बताते हुए इसे समाप्त करने की माँग की।[9] इसी तरह कुछ राज्यपालों के विवादास्पद वक्तव्य आलोचना के विषय बने। कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल श्री धर्मवीर ने केन्द्र के प्रति सार्वजनिक रूप से ऐसा वक्तव्य दिया कि उसने अपने वचन का पालन नहीं करके कनार्टक को दी जाने वाली 105 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है।[10] इसी प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि उड़ीसा में तो राज्यपाल श्री जोगिन्दर सिंह और मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथदास दोनों ने एक सार्वजनिक समारोह के दौरान एक–दूसरे की बात का ही प्रतिवाद किया।[11] इस प्रकार एक राज्यपाल के द्वारा सरकार के विरोध में नीति सम्बन्धी वक्तव्य देना ठीक नहीं माना जा सकता।

14 सितम्बर, 2016 को राजस्थान पत्रिका[12] में प्रकाशित सम्पादकीय लेख **वेद मरवाह** का ''बंद हो राज्यपाल पद पर सरकारी हस्तक्षेप'' में लिखा है कि असम के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होते ही केन्द्र सरकार ने ज्योति प्रसाद राजखोवा को मई 2015 में अरूणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। वहां राजनीतिक उठापटक के बाद केन्द्र ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था पर राजखोवा अड़ गए। इस घटनाक्रम में राज्यपाल और सरकार के बीच विरोधाभास खुलकर सामने आ गए। इसलिए ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बने जो संवैधानिक तरीकों से कामकाज करे। सरकार का हस्तक्षेप न रहे।

उपरोक्त विवेचन के बाद यह निष्कर्ष लिया जाता है कि राज्यपाल पद की उपयोगिता को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, अतिआवश्यक होने पर ही उसे समय पूर्व बुलाना चाहिए। राज्यपाल की निष्पक्ष भूमिका के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों या समारोह में भाग न ले और यथासम्भव उसे राज्य सरकार की किसी नीति या कार्यक्रम पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर राज्यपाल अधिकारों के स्थान पर कर्त्तव्य को महत्व दें, राज्य के लोक कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों में रूचि दिखाएं, प्राकृतिक विपदा के समय राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील पहल का प्रदर्शन करे तो वह बिना विवाद के और सत्ता के प्रयोग के बिना भी जनता का विश्वास जीत सकता है, राज्यपाल अपने विचार और व्यक्तित्व से आतंकवादी और क्षेत्रीयतावादी भावनाओं को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

राज्यपाल पदधारी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परम्परा का पालन होना चाहिए। गैर–राजनीतिक व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल को चाहिए कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का ही आमंत्रण दे। राज्यपाल को विधानसभा में पराजित हुए तथा संदिग्ध बहुमत का समर्थन रखने वाले मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा का विघटन नहीं करना चाहिए। अभिभाषण के समय विधानसभा सदस्यों को विधानमण्डल की गरिमा को संयमित रखना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पहले राज्यपाल को स्थिर और वैकल्पिक सरकार बनाने के सभी सम्भावित कदमों का पता लगाकर ही राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। लोकतंत्र में राज्यपाल जनता की समस्याओं के लिए उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल पद की उपयोगिता बरकरार रखने हेतु स्वच्छ, निष्पक्ष, ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान, गैर–राजनीतिक, संवेदनशील, पारदर्शी और जड़–जमीन से जुड़ा व्यक्ति ही राज्यपाल पद पर नियुक्त होना चाहिए, जिससे पद की गरिमा बनी रहे तथा इसकी सार्थकता सिद्ध रहे।

***व्याख्याता**
राजनीति विज्ञान विभाग
अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 153, 154.
2. संविधान सभा वाद–विवाद, खण्ड–8, पृ.431.
3. ओ.पी. गोयल, इण्डिया गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, लाईट एण्ड लाइफ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1979, पृ. 120–121.
4. जी.एन. सिंह, दि रोल ऑफ स्टेट गवर्नर्स, इन इण्डिया टुडे, इलाहाबाद, किताब महल, 1968, पृ.17.
5. धर्मचन्द जैन, अनुच्छेद 356 : एक सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विश्लेषण, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, पृ. 218–221.
6. राजमन्नार समिति प्रतिवेदन, 1971, पृ. 121.
7. दिनमान, नई दिल्ली, मार्च 30 – अप्रैल 5, 1980, पृ.27.
8. नवभारत टाइम्स, जयपुर, मई 19, 1987, पृ.1.
9. दैनिक नवज्योति, जयपुर, मार्च 5, 2000, पृ. 12.
10. टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, जनवरी 18, 1972.
11. धर्मचन्द जैन, उपरोक्त, पृ.196.
12. वेद मरवाह, बंद हो राज्यपाल पद पर सरकारी हस्तक्षेप, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, सितम्बर 14, 2016.